



हमीरपुर पुलिस



कोतवाली सदर) 1 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा व 04 लीटर कच्ची शराब/शराब बनाने के उपकरण के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 9/6/2021 को थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 100 /21 धारा 269 आईपीसी 60(2) आबकारी अधिनियम व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम व 3 महामारी अधिनियम में अभियुक्त कमल सोनकर पुत्र बदलू सोनकर निवासी मोहल्ला खालेपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसके कब्जे से 4 लीटर कच्ची देसी शराब नाजायज व नाजायज़ शराब बनाने के उपकरण बरामद किया गया तथा मुकदमा अपराध संख्या 101 /21 धारा 18 /20 एनडीपीएस एक्ट अभियुक्त सोहेल पुत्र हाशिम निवासी रोरी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

